

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
वीवारीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
सजखव वाद संख्या :- 76 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023 / 227

वादी
भागीरथराम उर्फ भागीरथसिंह
पुत्र हणुताराम जाति जाट
निवासी बासनी
तहसील लक्ष्मणगढ तहसील सीकर

बनाम

प्रतिवादी

- 1.अनिता पुत्री मोतीलाल
- 2.काजू पुत्री मीठालाल
- 3.कान्तादेवी पत्नी पुखराज
- 4.गजराज पुत्र मीठालाल
- 5.गोकलचंद पुत्र हिन्दुमल
- 6.गोतमचंद पुत्र बादरमल
- 7.धेवरचंद पुत्र बशराज
- 8.देवराज पुत्र राणमल
- 9.दीपचंद पुत्र राणमल
- 10.नरेशकुमार पुत्र रायचंद
- 11.प्रमोद पुत्र मोतीलाल
- 12.पिस्ता पुत्र मीठालाल
- 13.बदामी उर्फ कविता पुत्री मीठालाल
- 14.बिन्दू पुत्री पुखराज
- 15.भंवरलाल पुत्र मिसरीमल
- 16.भादरमल पुत्र हिन्दुमल
- 17.मनोज पुत्र पुखराज
- 18.माणकचंद पुत्र मीठालाल
- 19.माणकचंद पुत्र बादरमल
- 20.मिथुनकुमार पुत्र रायचंद
- 21.विनोद पुत्र मोतीलाल
- 22.शकुन्तला पुत्री मीठालाल
जाति ओसवाल निवासी असाड़ा
तहसील पचपदरा
- 23.सुजानाराम पुत्र टीकमाराम
जाति कलबी निवासी पोसालनगर
असाड़ा तहसील पचपदरा
- 24.राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति

- श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी
- प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 27/12/2024

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा पोशाल नगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 686 क्षेत्रफल 1.9425 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 25.10.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई गिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पोशाल नगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 686 क्षेत्रफल 1.9425 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बचिन्ह
1	सुजानाराम पुत्र टीकमजी जाति कलबी सा. असाडा रहन हि.13/36 R.G.B शाखा असाड़ा	पोशाल नगर	686	1.0791	बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार
2	भागीरथराम उर्फ भागीरथसिंह पुत्र हणुताराम जाति जाट सा. बासनी तहसील लक्ष्मणगढ खातेदार	पोशाल नगर	686	0.4856	बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार
3	काजू पुत्री मीठालाल 135/3778, माणकचंद पुत्र मीठालाल 135/3778, शकंतुला पुत्री मीठालाल 135/3778, गजराज पुत्र मीठालाल 135/3778, पिस्ता पुत्री मीठालाल 135/3778, बदामी उर्फ कविता पुत्री मीठालाल, 135/3778.	पोशाल नगर	686	0.3768	बा.दो.	नक्शे में दर्शितानुसार



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा


माणकचंद पुत्र बादरमल 541/3778, गोकलचंद पुत्र हिन्दूमल 809/3778, भादरमल पुत्र हिन्दूमल 809/3778, घेवरचंद पुत्र वंशराज 809/3778, जाति ओसवाल सा. देह खातेदार					
---	--	--	--	--	--

तहसीलदार, पंचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 27/12/24 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा 27/12/24

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठारिनी अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 75/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/227

वादी
भागीरथराम उर्फ भागीरथरसिंह
पुत्र हणुताराम जाति जाट
निवासी बासनी
तहसील लक्ष्मणगढ तहसील सीकर

बनाम

प्रतिवादी



1. अनिता पुत्री मोतीलाल
2. काजू पुत्री मीठालाल
3. कान्तादेवी पत्नी पुखराज
4. गजराज पुत्र मीठालाल
5. गोकलचंद पुत्र हिन्दुमल
6. गोतमचंद पुत्र बादरमल
7. धेवरचंद पुत्र बशराज
8. देवराज पुत्र राणमल
9. दीपचंद पुत्र राणमल
10. नरेशकुमार पुत्र रायचंद
11. प्रमोद पुत्र मोतीलाल
12. पिस्ता पुत्र मीठालाल
13. बदामी उर्फ कविता पुत्री मीठालाल
14. बिन्दू पुत्री पुखराज
15. भंवरलाल पुत्र मिसरीमल
16. भादरमल पुत्र हिन्दुमल
17. मनोज पुत्र पुखराज
18. माणकचंद पुत्र मीठालाल
19. माणकचंद पुत्र बादरमल
20. मिथुनकुमार पुत्र रायचंद
21. विनोद पुत्र मोतीलाल
22. शकुन्तला पुत्री मीठालाल
जाति ओसवाल निवासी असाड़ा
तहसील पचपदरा
23. सुजानाराम पुत्र टीकमाराम
जाति कलबी निवासी पोसालनगर असाड़ा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
24. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 75/2023
निर्णय दिनांक :- 27.12.2024

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 27.12.2024 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.12.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 27.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	—	जोड़	—


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
27/12/24